कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, हापुड़ (गाजियाबाद)

[illegible], 2006 ई०

पत्र संख्या/23 [illegible] /2006-07--उत्तर प्रदेश [illegible] अधिनियम, 1916 [illegible] के अधीन नगर पालिका परिषद्, हापुड़ में नगर पालिका के [illegible] आदि पर विज्ञापन [illegible] के [illegible] सम्बन्धी [illegible] में जो विज्ञप्ति संख्या 1868/23-15-55-56, दिनांक 23 मई, 1957 [illegible] पर [illegible] की विज्ञप्ति संख्या 3365/23-15 (55-56), दिनांक 7 जून, 1962 [illegible] में विज्ञापन [illegible] प्रदर्शित किये जाने का प्रचार-प्रसार का माध्यम [illegible] आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को उपलब्ध कराने में भी पालिका परिषद् पर [illegible] पालिका की आय में वृद्धि करने हेतु उपनियम संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया। [illegible] अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) (2) सूची 1 (क) (1) के अन्तर्गत उपनियम को [illegible] प्रस्तावित उपनियम का [illegible] आपत्तियां आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित [illegible] [illegible] आपत्तियों का निस्तारण कराकर अन्तिम रूप से प्रशासक महोदय के [illegible] दिनांक [illegible] सितम्बर, 2006 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इस उपनियम को लागू करने हेतु [illegible] प्रकाशन सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है। यह उपनियम सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

हापुड़ नगरपालिका सीमान्तर्गत में दीवारों आदि पर

विज्ञापन चिपकाने अथवा लिखने और अन्य

कार्यों से सम्बन्धी उपनियम

हापुड़ नगर पालिका (समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न) विज्ञापनों पर शुल्क का निर्धारण करने एवं [illegible] विस्तार हापुड़ नगर के समस्त क्षेत्र में होगा।

[illegible] शब्द का अर्थ किसी प्रकार का बिल, नोटिस, पोस्टर इत्यादि है जो कि प्रचार कार्य हेतु हो एवं कोई [illegible] विज्ञापन या कोई निशान पेंटिंग या स्टेंसिल, फोटो एवं चित्र व खींची हुई नकल इत्यादि है जो कि इस कार्य हेतु [illegible] गई हो।

परिभाषा--जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में--

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) विज्ञापन कर्ता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली के अधीन विज्ञापन को [illegible] या लटकाकर या चिपकाकर या बोर्ड या विज्ञापन पर [illegible] प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई हो या [illegible] इसके लिए आवेदन किया हो और इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का अभिकर्ता, प्रतिनिधि व [illegible] भी शामिल है।

(ग) परिषद् का तात्पर्य हापुड़ नगर पालिका परिषद् से है।

(घ) शुल्क का तात्पर्य अधिनियम की धारा 294 की उपधारा 4 के अधीन विज्ञापन पर [illegible] शुल्क से है।

प्रतिबंध--अधिशासी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति--

(क) पालिका की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ या उससे संलग्न भूमि, पेड़, नगर प्राचीर (चहारदीवारी) नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, [illegible] किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार चित्र जिससे किसी [illegible] व्यक्ति का विज्ञापन होने का आभास हो न तो [illegible] करेगा न चिपकायेगा न प्रदर्शित करेगा, न लिखेगा न चिन्हित करेगा।

(ख) किसी मार्ग, सड़क, पुल, नगर प्राचीर, नगर द्वार विद्युत या टेलीफोन के खम्भों, [illegible]

पर चिपकाकर किसी प्रकार का विज्ञापन न तो सम्प्रदर्शित करेगा न प्रदर्शित करेगा या लटकायेगा ।

(2) अधिशासी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति किसी भवन, दीवाल या स्थायी [illegible] संरचना के किसी ऐसे भाग पर जो सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देता हो, कोई विज्ञापन न तो स्वयं ही प्रदर्शित करेगा न प्रदर्शित करेगा या न चिपकायेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसे विज्ञापन सम्प्रदर्शित करने, चिपकाने, चिन्हित करने या लटकाने की अनुमति देगा ।

अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र--

(1) अनुज्ञा के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र, ऐसे प्रदर्शन के चिपकाने या लटकाने के स्थल के ब्यौरे के साथ आवश्यक विवरण, रेखांकित या स्थलीय नक्शा, और अन्य यथा अपेक्षित सूचनाओं के साथ विज्ञापनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा यदि विज्ञापन किसी मार्ग के किनारे या पटरी पर [illegible] आयरन पर, [illegible] पर या [illegible] पर [illegible] किये जाने के लिए आशयित हो तो विज्ञापन का पूरा विवरण उसका आकार भी आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा ।

(2) यदि कोई विज्ञापन ऐसे निजी भवन, दीवार या किसी ऐसी गली में जो सड़क मार्ग या गली से दिखाई पड़ता हो संप्रदर्शित किये जाने के लिए आशयित हो तो भूमि या भवन के सम्बद्ध स्वामी की सहमति की प्रमाणित प्रति भी आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) यदि भूमि का कोई स्वामी किसी विज्ञापन को अपनी निजी भूमि या अपने भवन की दीवार पर जो सड़क, मार्ग पर किसी गली से दिखाई पड़ती हो, सम्प्रदर्शित करना चाहता हो तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करनी होगी, और इस नियमावली के अधीन अनुमति लेनी होगी ।

(4) इस नियमावली की संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्कों की दरों के अनुसार आगणित करके, धनराशि विज्ञप्तिकर्ता द्वारा जमा किये जाने के पश्चात् ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो सार्वजनिक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायें, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी ।

आवेदन-पत्र का अस्वीकार किया जाना--

नियम 4 में निर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है--

(क) यदि आवेदन-पत्र में सही अपेक्षित ब्यौरा न हो, विज्ञापन की अशिष्ट, अश्लील या देखने में हानिकारक समझी जाये या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील या [illegible] रेखाकृति या भद्दा कोई प्रतीक हो ।

(ख) यदि विज्ञापन द्वारा लोक शान्ति या प्रशान्ति भंग होने की आशंका हो या जो देखने में लोक व्यवस्था और सार्वजनिक एकता के विरुद्ध हो जिसके आंधी या तूफान में गिरने के कारण या उसके यातायात में व्यवधान पड़ने के कारण या किसी अन्य कारण से जीवन या सम्पत्ति को क्षति पहुंचने की आशंका हो ।

(ग) यदि स्थल अधिशासी अधिकारी की सुविचारित राय में अनुपयुक्त हो, या

(घ) यदि विज्ञापन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल हो ।

अनुज्ञा की अवधि--अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट है, वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा की दिनांक से एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गई जिसमें जो भी पहले हो अथवा विज्ञापनकर्ता द्वारा की गयी मांग के आधार पर अधिशासी अधिकारी के संतोषानुसार अनुज्ञा दी जायेगी ।

विशेष विज्ञापन--अनुसूची में निर्दिष्ट विज्ञापन के भिन्न किसी भी विज्ञापन को संप्रदर्शित करने के लिए भी अधिशासी अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी और ऐसे विज्ञापन के लिए देय शुल्क की धनराशि वही होगी

जो अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत की जायेगी । [illegible] या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक विधिमान्य होगी [illegible]

दुकानों पर विज्ञापन—[illegible] की पूर्व अनुज्ञा के बिना [illegible] नहीं किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण—(एक) यदि दुकान [illegible] किया गया हो तो उसे विज्ञापन नहीं समझा जायेगा और वह इस नियमावली के अधीन शुल्क देय नहीं होगा ।

(दो) यदि किसी दुकान के नाम के साथ या स्वतन्त्र रूप से किसी ऐसी वस्तु के रूप में [illegible] आदि के बारे में उल्लेख, जो जनसाधारण को विज्ञापन की भांति आकर्षित करता हो, तो वह इस नियमावली के अधीन शुल्क देय होगा ।

विज्ञापन को प्रदर्शित—कोई विज्ञापनकर्ता जिसे इस नियमावली के अधीन अनुज्ञा प्राप्त की गई है ऐसी [illegible] के भीतर विज्ञापन [illegible] पर प्रदर्शित विज्ञापन [illegible] प्रदर्शित हो चुका हो [illegible] देगा ।

[illegible] इस नियमावली के अधीन [illegible] अनुज्ञा [illegible] अनुज्ञा के अन्तरण पर निर्बन्धन—[illegible] अधिशासी अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

विज्ञापन [illegible]—किसी [illegible] के [illegible] विज्ञापन पट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा ।

(1) [illegible] 30 × 3 मीटर से अधिक हो और उसका निचला भाग भूमि की सतह से ऊपर 1.83 मीटर [illegible]

(2) [illegible] 60 मीटर के भीतर हो [illegible] किया जायेगा, जिससे स्थानीय [illegible] 30 मीटर के भीतर [illegible] में अवरोध उत्पन्न हो ।

(3) [illegible] अस्पताल, [illegible] सार्वजनिक कार्यालय या [illegible]

(4) [illegible] द्वारा की विनिर्दिष्ट [illegible] से किसी निजी भवन पर लिखकर या पेंट [illegible]

[illegible] पर घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट :—

[illegible] के आस पास ।

विज्ञापन पट या दुकान [illegible]—अधिशासी अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस नियमावली का उल्लंघन करके [illegible] विज्ञापन या विज्ञापन पट को हटा दे और ऐसे विज्ञापन पट को हटाने का व्यय [illegible] अधिनियम की धारा 293 (1) के अंतर्गत वसूल किया जायेगा ।

प्रतिकर—किसी अनधिकृत विज्ञापन को हटा दिये जाने या मिटा दिये जाने की दशा में न तो कोई प्रतिकर न कोई [illegible] अनुमान्य होगा ।

अनुज्ञा का नवीनीकरण—(1) अनुज्ञा के नवीनीकरण की [illegible] नियम-4 के अनुसार होगी और विहित [illegible] नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र नवीनीकरण की [illegible] दिनांक से एक सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा ।

(2) अधिशासी अधिकारी विज्ञापन के लिए अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए किसी भी आवेदन-पत्र को लोक हित में या यातायात को सुविधा को विनियमित करने के लिए अस्वीकार कर सकता है, ऐसे नवीनीकरण की मंजूरी के लिए किसी पश्चात्वर्ती विनिश्चय की दशा में उस व्यक्ति को [illegible] दिया जायेगा जिसका आवेदन-पत्र पहले अस्वीकृत कर दिया गया था ।

शुल्क की दर की अनुसूची—(1) शुल्क नियम 7 अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर अग्रिम होगा ।

(2) यदि विज्ञापन एक वर्ष या उसके भाग के लिए अभिप्रेरित हो तो शुल्क प्रत्येक वर्ष [illegible] प्रथम दिवस के पूर्व या उन दिनांक के पूर्व जब विज्ञापन को प्रथम बार खड़ा किया गया, प्रदर्शित किया [illegible] जड़ा गया, रखा गया, या सम्प्रदर्शित किया गया हो इनमें से जो भी पहले हो वार्षिक आधार पर होगा,

(3) यदि 31 मार्च तक की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो शुल्क की धनराशि [illegible] देय शुल्क की आधी होगी ।

(4) विज्ञापन पट या बैनर लटकाये जाने की दशा में शुल्क उस दिनांक से पूर्व जब विज्ञापन को प्रथम बार सम्प्रदर्शित किया जाये या ऐसे [illegible] अनुवर्ती मासों के प्रथम दिनांक के पूर्व जिसके लिए सम्प्रदर्शन जारी रखा जाए मासिक आधार पर देय होगा ।

शुल्क से छूट—उपरोक्त उपनियम केन्द्र/राज्य के द्वारा केन्द्र/राज्य के कार्य के हेतु सम्प्रदर्शित प्रदर्शन [illegible] लागू न होगा ।

नगरपालिका परिषद हापुड़ में पंजीकृत एडवरटाईजर फर्म ही होर्डिंग्स व विज्ञापन पट लगाने के लिए अधिकृत होगा, पंजीकृत शुल्क अंकन 1,000.00 रु0 वार्षिक देय होगा । जिसका नवीनीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष माह मई की 31 तारीख तक कराना अनिवार्य होगा । तदुपरान्त विलम्ब शुल्क अंकन 100.00 रु0 प्रतिमाह से निर्धारित शुल्क के साथ सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके जमा किया जा सकता है सक्षम अधिकारी को किसी भी अनियमित अनियमितता या उपनियमों का उल्लंघन किए जाने पर पंजीकरण निरस्त किए जाने का पूर्ण अधिकार होगा ।

दण्ड

यू0 पी0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए बोर्ड शासन करता है कि उपरोक्त नियमावली के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर 1000.00 रु0 जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा । [illegible] रहने की दशा में पहले दण्ड दिये जाने की तिथि से 25.00 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से और जुर्माने का दण्ड दिये जाने की तिथि से 25.00 रु0 प्रति दिन के हिसाब से और जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा । जब तक उल्लंघन के अपराध जारी रहेगा ।

अनुसूची

विज्ञापनों पर निर्धारित शुल्क की दर

अनुसूची आकार व स्थानानुसार निर्धारित दर प्रतिवर्ष मीटर प्रति [illegible]	मुख्य मार्ग	अन्य मार्ग
1—नगर पालिका की भूमि व भवन पर विज्ञापन लगाना व खड़ा करना	120.00 रु0 प्रति वर्ग मी0	80.00 रु0 प्रति वर्ग मी0
2—केन्द्रित तथा राज्य सरकार के निजी भूमि	120.00 रु0 प्रति वर्ग मी0	80.00 रु0 प्रति वर्ग मी0
3—पालिका भूमि या भवन विद्युत प्रकाशमान संगीत पर	160.00 रु0 प्रति वर्ग मी0	90.00 रु0 प्रति वर्ग मी0
4—केन्द्रित तथा राज्य सरकार निजी भूमि या भवन, पर विद्युत प्रकाशमान या संगीन	160.00 रु0 प्रति वर्ग मी0	90.00 रु0 प्रति वर्ग मी0
5—प्राईवेट/रोडवेज/डी0टी0सी0 बस सेन्टर पर विज्ञापन	—	250.00 रु0 प्रति वर्ग [illegible]

	मुख्य मार्ग	अन्य मार्ग
	—	350.00 रु० प्रति वर्ग मी०
6—विद्युत खम्भों पर (बधारक) पर	—	35.00 रु० प्रति वर्ग मी० प्रतिमाह
7—कपड़े के बैनर पर 3 मी० × 1 मी०	—	40.00 रु० प्रति वर्ग मी०
8—निजी या प्राइवेट सम्पत्ति पर अथवा दिवारों पर पेन्टिंग		50.00 रु० प्रति वर्ग मी०
9—निजी या प्राइवेट सम्पत्ति पर होर्डिंग	—	50.00 रु० प्रति 100
10—पोस्टर 45 × 55 से०मी०		50.00 रु० प्रति 1000
11—हैण्डबिल 19 × 29 से०मी०	300.00 रु० प्रति वर्ग मी०	
यूनीपोल बोर्ड	520.00 रु० प्रति वर्ग मी०	
पालिका पोल पर प्रकाशमान साईन बोर्ड		

नोट—1—नगर पालिका सीमान्तर्गत मुख्य मार्ग, अन्य मार्ग, कस्बों आदि पर विज्ञापनपट/साईन बोर्ड इत्यादि लगाये जायेंगे।

2—प्रतिवर्ष उक्त दरों की वसूली पर रेटों में 10 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।

संजय चौहान,
प्रशासक,
नगर पालिका परिषद्,
हापुड़ (गाजियाबाद)।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद् गंगाघाट, उन्नाव

19 सितम्बर, 2006 ई०

सं० [illegible] गंगाघाट पड़ाव शुल्क उपविधि—नगर पालिका परिषद गंगाघाट (उन्नाव) द्वारा उ० प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 एवं 299 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद [illegible] सीमा के अन्तर्गत किसी भी पड़ाव, सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक सड़क की पटरी आदि पर वाहनों को [illegible] करने हेतु "पड़ाव शुल्क" अधिरोपण सम्बन्धी उपनियम बनाये गये हैं, उक्त उप नियमों को [illegible] दिनांक 27 मई, 2006 को "दैनिक जागरण" में प्रकाशित कराया गया। निर्धारित अवधि में [illegible] कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। [illegible] नगर पालिका परिषद गंगाघाट (उन्नाव) द्वारा बैठक दिनांक 30 जून, 2006 में पड़ाव शुल्क उपविधि को अन्तिम रूप से स्वीकार कर दिया गया है।

[illegible] लागू करने हेतु प्रकाशित [illegible]।

उप-नियम

1—परिभाषायें—

(क) नगर पालिका का तात्पर्य नगर पालिका परिषद गंगाघाट, जिला उन्नाव से है।

(ख) बोर्ड का तात्पर्य म्युनिसिपल बोर्ड गंगाघाट से है।

(ग) प्रशासक/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद गंगाघाट से है।

2—यह उप-नियम सरकारी गजट में प्रकाशन तिथि से लागू माने जायेंगे।